प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

सिविल पुनरीक्षण सं 153/2025

1 – राजेश्वरी देवी अग्रवाल पति स्वर्गीय मोतीलाल अग्रवाल लगभग 62 वर्ष निवासी अयोध्या अपार्टमेंट, 35–ए, मालवीय नगर, वार्ड संख्या 24, पुलिस थाना मोहन नगर, तहसील तथा जिला दुर्ग, सी. जी.

2 – मुनिवासीश अग्रवाल पिता स्वर्गीय मोतीलाल अग्रवाल,49 वर्ष ,निवासी अयोध्या अपार्टमेंट, 35–ए, मालवीय नगर, वार्ड संख्या 24, पुलिस थाना मोहन नगर, तहसील तथा जिला दुर्ग, सी. जी.

3 – राजेंद्र अग्रवाल पिता स्वर्गीय मोतीलाल अग्रवाल 44 वर्ष निवासी अयोध्या अपार्टमेंट, 35–ए, मालवीय नगर, वार्ड संख्या 24, पुलिस थाना मोहन नगर, तहसील तथा जिला दुर्ग, सी. जी.

4 – जितेंद्र अग्रवाल पिता स्वर्गीय मोतीलाल अग्रवाल 39 वर्ष निवासी अयोध्या अपार्टमेंट, 35–ए, मालवीय नगर, वार्ड संख्या 24, पुलिस थाना मोहन नगर, तहसील तथा जिला दुर्ग, सी. जी.

---आवेदनकर्तागण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1 – सरोज कुमार गुप्ता पिता स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद गुप्ता पिता 62 वर्ष निवासी शांति नगर, रोड नंबर 3, भिलाई, तहसील तथा जिला दुर्ग, सी. जी.

2 – धर्मेंद्र अग्रवाल पिता स्वर्गीय मोतीलाल अग्रवाल पिता 40 वर्ष निवासी अयोध्या अपार्टमेंट, 35–ए, मालवीय नगर, वार्ड संख्या 24, पुलिस थाना मोहन नगर, तहसील तथा जिला दुर्ग, सी. जी.

3 – छत्तीसगढ़ राज्य, जिला कलेक्टर के द्वारा, तहसील एवं जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़

--अनावेदकगण

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)

आवेदकगण हेतु :	:	श्री अनिमेष वर्मा, अधिवक्ता
अनावेदक संख्या 1 हेतु	:	श्री अली अफजल मिर्जा, अधिवक्ता
राज्य/अनावेदक संख्या 3 हेतु	:	श्री अजय कुमार पांडे, शासकिय अधिवक्ता

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

29.08.2025

1. यह दीवानी पुनरीक्षण याचिका आवेदकों/प्रतिवादियों द्वारा दुर्ग (सी.जी.) के कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 25.01.2025 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा दीवानी वाद संख्या ए/234 ऑफ 2024 में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में, "सीपीसी") के आदेश □□□ नियम 11(डी) के तहत उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया है।विचारण न्यायालय ने माना है कि परिसीमा का मुद्दा कानून और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, जिसका निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पर निर्णय के चरण में नहीं किया जा सकता है और इसका निर्धारण केवल मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही किया जा सकता है।

2. इस दीवानी पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से, आवेदकों ने निम्नलिखित अनुतोष हेतु प्रार्थना की है:---
अतः निवेदन है कि माननीय न्यायालय इस पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए, विचारण न्यायालय (चौथे व्यवहार न्यायाधीश, जूनियर ग्रेड, दुर्ग, छत्तीसगढ़) के समक्ष लंबित दीवानी वाद वर्ग ए/234/2024 में दिनांक 25/01/2025 को पारित आदेश (अनुलग्नक – ए/1) को न्याय के हित में अपास्त करने की कृपा करें।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. आवेदकों/प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत मामला यह है कि वादी ने संविदा के विशिष्ट अनुपालन के लिए वाद दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पक्षों के बीच दिनांक 10.01.1989 को एक मौखिक करार किया गया था।यह निवेदन किया गया है कि उक्त मौखिक करार के अनुसार, 5,000 रुपये अग्रिम भुगतान के रूप में दिए गए थे, और बाद में, विभिन्न तिथियों पर, करार की शर्तों के अनुसार अतिरिक्त भुगतान किए गए, जिनकी कुल राशि 1,10,000 रुपये थी।आगे यह भी कहा गया है कि यद्यपि विक्रय का कोई लिखित समझौता नहीं हुआ था, फिर भी करार खसरा संख्या 65/02, क्षेत्रफल 0.80 हेक्टेयर कृषि भूमि के संबंध में था, जो ग्राम कोहका, पी.एच. संख्या 14, जिला दुर्ग (सीजी.) में स्थित है।वादी ने आरोप लगाया है कि जब भी उसने प्रतिवादियों से पूरी राशि का भुगतान करने के बाद विक्रय विलेख निष्पादित करने का अनुरोध किया, तो प्रतिवादियों ने कभी भी समझौते से इनकार नहीं किया; इसके विपरीत, उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वे उसके पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है।10.10.2017 को स्वर्गीय मोतीलाल अग्रवाल द्वारा भूमि परिवर्तन हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि विवादित भूमि उनके पिता द्वारा पहले ही बेची जा चुकी थी, यद्यपि पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया जा सका था। बाद में, 29.07.2024 को वादी को पता चला कि जिस भूमि के लिए समझौता हुआ था और पूरी राशि का भुगतान किया गया था, उसका सीमांकन किसी अन्य व्यक्ति के कहने पर कर दिया गया था।वादी को सीमांकन की जानकारी तब मिली जब उसने बगल की जमीन का स्वामित्व प्राप्त किया और उसे सीमांकन संबंधी एक नोटिस भी भेजा गया था।उक्त नोटिस के आधार पर, वादी ने आगे की जांच की। आगे यह निवेदन किया गया है कि 11.08.2024 को किसी व्यक्ति ने विवादित जमीन में प्रवेश करने का प्रयास किया और वादी द्वारा स्थापित सीमा स्तंभ को हटाने का प्रयास किया गया।

इसके परिणामस्वरूप, 11.08.2024 को पुलिस स्टेशन सुपेला, जिला दुर्ग में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था।पुलिस ने वादी को सक्षम दीवानी न्यायालय में जाने की सलाह दी।इस प्रकार, वादी के अनुसार, वाद का कारण 11.08.2024 को उत्पन्न हुआ, और इसीलिए वाद दायर किया गया।

4. हालांकि, प्रतिवादियों ने आदेश □□□ नियम 11 सीपीसी के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें तर्क दिया गया कि वाद परिसीमा के कारण पूरी तरह से वर्जित है, क्योंकि इसे कथित करार की दिनांक से तीन साल के भीतर दायर किया जाना चाहिए था, और इसलिए इसे प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए।

5. वादी ने उक्त तर्क का खंडन करते हुए अपना उत्तर दाखिल किया और दोहराया कि वाद का कारण केवल 11.08.2024 को उत्पन्न हुआ था, इसलिए वाद परिसीमा के भीतर है।यह भी निवेदन किया गया है कि वाद की लंबितता के दौरान, वादी ने आदेश 39 नियम 1 और 2 सीपीसी के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसे विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया था।विचारण न्यायालय ने दिनांक 25.01.2025 के आदेश द्वारा, प्रतिवादियों द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दायर आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि परिसीमा का विवाद्यक विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, जिसका निर्णय आदेश □□□ नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन के चरण में नहीं किया जा सकता है। आगे यह भी कहा गया है कि वाद केवल संविदा के विशिष्ट निष्पादन के लिए ही नहीं, बल्कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व की घोषणा के लिए भी है, और इसलिए, उक्त मुद्दे के निर्णय के लिए अनिवार्य रूप से विचारण की आवश्यकता होगी।तदनुसार, पूर्ण विचारण के अभाव में, वाद को प्रारंभिक चरण में खारिज नहीं किया जा सकता था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. आवेदकों/प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि, प्रथम दृष्टया, वाद पत्र से ही स्पष्ट है कि वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है।यह तर्क दिया गया है कि वादी ने मामले को परिसीमा अवधि के दायरे में लाने के उद्देश्य से ही एक नया कारण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जबकि वास्तव में कथित मौखिक करार वर्ष 1989 का है, और वादी के स्वयं के कथनों के अनुसार भी, परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत निर्धारित वैधानिक अवधि के भीतर कोई पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया गया था। यह भी निवेदन किया गया है कि वादी द्वारा वर्ष 2024 में कथित अवरोधन या सीमांकन कार्यवाही के आधार पर प्रस्तुत किया गया तथाकथित कारण, वास्तविक तथ्यों को छिपाने और परिसीमा अवधि को कृत्रिम रूप से बढ़ाने का मात्र एक प्रयास है।विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, वाद पत्र में इस तरह के प्रारूपण को सीमा से संबंधित विधि के जनादेश को विफल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, और न ही यह कार्रवाई का एक नया कारण बना सकता है जब विधि की दृष्टि में वास्तव में कोई मौजूद नहीं है।उनका तर्क है कि यह कानून सर्वविदित है कि जब वादपत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वाद परिसीमा से बाधित है, तो न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह आदेश 7 नियम 11(डी) सीपीसी के तहत वादपत्र को खारिज कर देवे। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों का उल्लेख दिया गया है, जिनमें दाहिबेन बनाम

अरविंदभाई कल्याणजी भानुसाली (गजरा) (विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से) और अन्य (2020) 7 एससीसी 366, श्री मुकुंद भवन ट्रस्ट और अन्य बनाम श्रीमंत छत्रपति उदययन राजे प्रतापसिंह महाराज भोसले और अन्य (2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 3844), उमा देवी और अन्य बनाम आनंद कुमार और अन्य (2025) 5 एससीसी 198 और राघवेंद्र शरण सिंह बनाम राम प्रसन्ना सिंह (मृत) (विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से) (2020) 16 एससीसी 601 शामिल हैं।यह तर्क दिया गया है कि चतुराई से तैयार किए गए दस्तावेज़ क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं कर सकते या समय–बाधित हो चुके पुराने दावे को पुनर्जीवित नहीं कर सकते है।इसलिए, परिसीमा द्वारा पूरी तरह से बाधित होने के कारण, इस वाद को आरंभ में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1/वादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि परिसीमा का प्रश्न विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, जिसका निर्णय प्रारंभिक चरण में आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत आवेदन पर नहीं किया जा सकता। उनका कहना है कि वर्तमान मामले में अभी तक मुद्दे तय नहीं किए गए हैं और पक्षों ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए हैं, इसलिए पूर्ण विचारण के बिना न्यायालय द्वारा परिसीमा पर कोई निर्णय देना उचित नहीं होगा।आगे यह निवेदन किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय ने लगातार यह माना है कि परिसीमा का प्रश्न, जब तक कि वादपत्र में स्पष्ट रूप से न हो,विवाद्यक के निर्धारण और साक्ष्य दर्ज करने के बाद ही तय किया जाना चाहिए, न कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन पर विचार करने के चरण में। विद्वान अधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनोद इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड बनाम महावीर लूनिया और अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1208 और पी. कुमारकुरुबरन बनाम पी. नारायणन और अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 975 के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा करते हैं, जिनमें यह निर्धारित किया गया है कि जब तक वादपत्र स्वयं स्पष्ट रूप से यह न दर्शाता हो कि वाद परिसीमा द्वारा वर्जित है, तब तक आदेश 7 नियम 11(डी) सीपीसी के तहत वादपत्र को खारिज करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. मैंने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है तथा इस नागरिक पुनरीक्षण के साथ–साथ संबंधित पक्षों द्वारा भरोसा किए गए मामले के विधि के साथ दस्तावेज का अध्ययन किया है।

9. वाद पत्र के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि विक्रय के करार में कोई समय सीमा नहीं थी।दोनों पक्ष एक–दूसरे के संपर्क में थे।प्रतिवादियों ने वादी को विक्रय विलेख के निष्पादन हेतु आश्वासन दिया है, हालांकि, जब भूमि का सीमांकन करने का प्रयास किया गया, तो कार्रवाई का पहला कारण सामने आया।दूसरे, जब किसी अन्य व्यक्ति ने 11.08.2024 को खंभा हटाने का प्रयास किया, अर्थात वादी का कब्जा छीनने का प्रयास किया, तो वादपत्र में उल्लिखित दो तिथियों, अर्थात् 29.07.2024 और 11.08.2024, के आधार पर वाद दायर करने का कारण बनता है। अतः, वादपत्र में उल्लिखित तिथियों के आधार पर वाद खारिज नहीं किया जा सकता है।

10. इसके अलावा, विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 25.01.2025 को पारित आदेश, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11(डी) के तहत आवेदन खारिज किया गया था, के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों के कथनों पर विचार किया है और पाया है कि वादी ने न केवल संविदा के विशिष्ट निष्पादन और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया है, बल्कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व की घोषणा भी मांगी है। विचारण न्यायालय ने यह भी पाया कि यद्यपि प्रतिवादियों ने यह आपत्ति उठाई है कि परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 54 के अनुसार मुकदमा परिसीमा से बाधित है, फिर भी, वाद के कथनों से वादी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वाद का कारण केवल 11.08.2024 को उत्पन्न हुआ, जब कथित तौर पर उसके कब्जे में हस्तक्षेप किया गया था।विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि है कि वाद परिसीमा के भीतर है या समय–बाधित, यह प्रश्न केवल वादपत्र में दिए गए कथनों के आधार पर तय नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए साक्ष्यों के मूल्यांकन के आधार पर निर्णय की आवश्यकता है, क्योंकि यह विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है।प्रतिवादियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रामिसेट्टी वेंकटन्ना और अन्य बनाम नास्यम जमाल **साहब और अन्य (सिविल अपील संख्या 2717/2023) और एस.पी. चेंगल्वराया नायडू बनाम जगन्नाथ (1994 AIR 853) के निर्णयों पर भरोसा करने को भी विचारण न्यायालय ने यह देखते हुए अलग बताया है कि** उन मामलों की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि वर्तमान मामले में बताए गए तथ्यों से भिन्न थी।तदनुसार, विचारण न्यायालय ने मामले पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि परिसीमा के संबंध में प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई आपत्ति का प्रारंभिक स्तर पर निर्णय नहीं किया जा सकता है और इसके लिए मुद्दों के निर्धारण और साक्ष्य दर्ज करने के बाद ही निर्णय की आवश्यकता होगी। अतः, प्रतिवादियों द्वारा आदेश 7 नियम 11(घ) सीपीसी के तहत दायर आवेदन योग्यताहीन पाया गया और खारिज कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत आवेदन का निर्णय करते समय, न्यायालय को केवल वादपत्र में किए गए कथनों की ही जांच करनी होती है।प्रतिवादियों द्वारा लिखित बयान में उठाए गए बचाव और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर आवेदन में दिए गए तर्कों पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है।न्यायालय को केवल वादपत्र में लगाए गए आरोपों तक ही सीमित रहना चाहिए, और यदि इन आरोपों से प्रतीत होता है कि वाद विधिवत रूप से वर्जित है, तभी वादपत्र खारिज किया जा सकता है।वर्तमान मामले में, चूंकि परिसीमा का मुद्दा विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न है, इसलिए केवल इसी आधार पर वादपत्र खारिज नहीं किया जा सकता है।

12. परिसीमा का विवाद्यक अनिवार्य रूप से वाद के कारण की उत्पत्ति से संबंधित तथ्यों के निर्धारण से जुड़ा है, जिसके लिए पक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करना आवश्यक है। वादी का दावा परिसीमा के भीतर है या नहीं, यह प्रारंभिक चरण में तय नहीं किया जा सकता, बल्कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान, विवाद्यक को निर्धारित करने, पक्षों के साक्ष्यों को दर्ज करने और प्रदर्शित दस्तावेजों का मूल्यांकन करने के बाद ही इसका निर्णय किया जाना चाहिए।

13. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उमा देवी (उपरोक्त) और दाहिबेन (उपरोक्त) मामलों के निर्णयों पर भरोसा करने के संबंध में, निचली अदालत ने इन मामलों को सही ढंग से अलग बताया है, यह मानते हुए कि उन मामलों का तथ्यात्मक संदर्भ वर्तमान वाद में बताए गए तथ्यों से काफी भिन्न है।उन मामलों में, वाद के कथनों से ही स्पष्ट हो गया था कि मुकदमे परिसीमा से बाधित थे। हालांकि, वर्तमान मामले में, वाद में यह बताया गया है कि कथित तौर पर वाद का कारण 11.08.2024 को उत्पन्न हुआ जब कब्जे में हस्तक्षेप किया गया था, जिसके लिए साक्ष्य की आवश्यकता है और इस स्तर पर इसका निर्णायक रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

14. अतः, वर्तमान मामले में, वादपत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह नहीं कहा जा सकता कि वादपत्र प्रथम दृष्टया परिसीमा से बाधित है, जिससे उस पर आदेश 7 नियम 11(घ) सी.पी.सी. के प्रावधान लागू हों। इसके विपरीत, वादपत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वाद का कारण अगस्त 2024 में उत्पन्न हुआ था, और इसलिए, जब तक इसके विपरीत कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाए, वादपत्र को प्रारंभिक चरण में ही खारिज नहीं किया जा सकता है।तदनुसार, केवल वाद पत्र अभिकथनों के आधार पर यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है कि वाद सीमा द्वारा वर्जित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. पी. कुमारकुरुबरन (उपरोक्त) के मामले में, माननीयसर्वोच्च न्यायालय को आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय की शक्तियों के दायरे पर विचार करने का अवसर मिला। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वाद के कथनों की जांच करने पर स्पष्ट रूप से कहा कि परिसीमा का प्रश्न, जब तक कि यह स्वयं वाद में स्पष्ट न हो, वाद को प्रारंभिक चरण में ही अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है।आगे यह भी देखा गया कि जब परिसीमा का तर्क तथ्यों के विवादित प्रश्नों से संबंधित हो, तो ऐसे मुद्दे का निर्णय केवल वाद की सुनवाई के दौरान मुद्दों को निर्धारित करने और साक्ष्यों के मूल्यांकन के बाद ही किया जा सकता है।यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि परिसीमा के आधार पर, सीपीसी के आदेश 7 नियम 11(डी) का हवाला देते हुए, वाद को प्रारंभ में ही खारिज करना तब तक उचित नहीं होगा जब तक कि स्वयं वादपत्र में यह स्पष्ट रूप से प्रकट न हो कि वाद परिसीमा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित है। तदनुसार, यह निर्धारित किया गया कि जिन परिस्थितियों में वादपत्र में कार्यवाही का कारण बताया गया हो और परिसीमा तथ्यों के निर्धारण पर निर्भर हो, तो ऐसे मामलों में विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित अवलोकन के साथ निर्णय अवश्य किया जाना चाहिए:---

"12.1 प्रारंभिक चरण में, वादपत्र में किए गए कथनों को उनके मूल रूप में ही सत्य मान लेना चाहिए। एक बार जब जानकारी की तिथि स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो और वाद के आधार का आधार बन जाए, तो परिसीमा के विवाद्यक का निर्णय संक्षेप में नहीं किया जा सकता है।यह विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न बन जाता है, जिसका प्रारंभिक चरण में आदेश VII नियम 11 सीपीसी के तहत निर्णय नहीं किया जा सकता। इसलिए, पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दिए बिना परिसीमा के आधार पर वादपत्र को खारिज करना कानूनी रूप से मान्य नहीं है।"

12.2.इस संबंध में, हम इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का संदर्भ ले सकते हैं, जिनमें लगातार यह माना गया है कि जब परिसीमा का प्रश्न विवादित तथ्यों से संबंधित हो या जानकारी की तिथि पर निर्भर करता हो, तो ऐसे विवाद्यक का निर्णय सीपीसी के आदेश □□□ नियम 11 के चरण में नहीं किया जा सकता है:

(□) दलिबेन वलजीभाई और अन्य बनाम प्रजापति कोदारभाई कचराभाई और अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 4105

12. इसके अलावा, छोटांबेन बनाम कीर्तिभाई जलकृष्णभाई ठक्कर के मामले में, जहां फिर से विक्रय विलेख रद्द करने के वाद का आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन के माध्यम से परिसीमा के आधार पर विरोध किया गया था, इस न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि ऐसे सभी मामलों में परिसीमा ज्ञान की तिथि से उत्पन्न होगी।सुसंगत भाग इस प्रकार है:"15. आदेश 7 नियम 11 (डी) सी. पी. सी. के तहत आवेदन के संदर्भ में विवाद्यक में मामले का जवाब देने हेतु जो सुसंगत है, वह है वाद पत्र में किए गए कथनों की जांच करना।वाद पत्र को समग्र रूप से पढ़ने की आवश्यकता है।प्रतिवादियों के लिए उपलब्ध बचाव या लिखित बयान में उनके द्वारा ली गई याचिका या उनके द्वारा दायर कोई भी आवेदन, आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत आवेदन पर निर्णय लेने का आधार नहीं हो सकता है।केवल वाद पत्र में दिए गए अभिकथन सामान्य हैं।यह सामान्य आधार है कि पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांकित 18–10–1996 है।पंजीकृत विक्रय विलेख को चुनौती देने की सीमा आम तौर पर उस दिनांक से शुरू हो जाएगी जिस दिन विक्रय विलेख पंजीकृत किया गया था। हालांकि, अपीलकर्ता–वादी का विशिष्ट मामला यह है कि 2013 तक उन्हें अपने भाइयों, मूल प्रतिवादी 1 और 2 द्वारा जयकृष्णभाई प्रभुदास ठक्कर या प्रतिवादी 3 से 6 के पक्ष में इस तरह के विक्रय विलेख के निष्पादन के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं थी।उन्हें 26–12–2012 को इस बात की जानकारी मिली और उन्होंने तुरंत पंजीकृत विक्रय विलेख की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए कदम उठाए। प्रति प्राप्त होने पर उन्हें पैतृक संपत्ति के संबंध में अपने भाइयों द्वारा किए गए धोखे का एहसास हुआ। वाद दायर करने से दो दिन पहले, उन्होंने अपने भाइयों (मूल प्रतिवादी 1 और 2) से संपर्क किया और उनसे अपने कब्जे में हस्तक्षेप बंद करने और संपत्ति का बंटवारा करने तथा उनके हिस्से के लिए निर्धारित भूमि के आधे (□) भाग का अनन्य कब्जा प्रदान करने का अनुरोध किया।हालांकि, जब उन्हें एहसास हुआ कि मूल प्रतिवादी 1 और 2 उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो उनके पास अदालत का रुख करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और उन्होंने इसके दो दिन के भीतर ही उक्त वाद दायर कर दिया।अपीलार्थियों के अनुसार, पंजीकृत विक्रय विलेख के निष्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् समय के भीतर वाद दायर किया गया है।इस संदर्भ में, विचारण न्यायालय ने राय दी कि यह एक विचारणीय विवाद्यक था तथा आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत वाद की अस्वीकृति हेतु उत्तरवादी 1–उत्तरवादी 5 द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।यह दृष्टिकोण हमारी सराहना करता है।

19. वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता–वादी ने दावा किया है कि मूल प्रतिवादी 1 और 2 द्वारा उन्हें इस निष्पादन के बारे में अंधेरे में रखकर निष्पादित किए गए कपटपूर्ण विक्रय विलेख के बारे में जानकारी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्राप्त होने के तुरंत बाद और मूल प्रतिवादी 1 और 2 द्वारा अपीलकर्ताओं की पैतृक संपत्ति के शांतिपूर्ण उपयोग और कब्जे में बाधा डालने से इनकार करने के दो दिनों के भीतर वाद दायर किया गया था।हम विचारण न्यायालय के इस मत की पुष्टि करते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों में परिसीमा द्वारा वाद के वर्जित होने का विवाद्यक विचारणीय विवाद्यक है और इसी कारण से आदेश 7 नियम 11(घ) सी.पी.सी. के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए वाद को प्रारंभिक चरण में ही खारिज नहीं किया जा सकता है(जोर दिया गया)

13.उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन को उन विवाद्यक पर स्वीकार करना उचित नहीं था जो स्वयं वादपत्र के कथनों से स्पष्ट नहीं थे। उच्च न्यायालय का यह मानना भी उचित नहीं था कि परिसीमा अवधि पंजीकरण की तिथि से ही प्रारंभ होती है।इस दृष्टि से उच्च न्यायालय का निर्णय मान्य योग्य नहीं है।"

(☐☐) सलीम डी. अगबोटवाला और अन्य बनाम शामलजी ओद्धवजी ठक्कर और अन्य (2021) 17 एससीसी 100

"11. जैसा कि इस न्यायालय ने पी. वी. गुरुराज रेड्डी बनाम पी. नीरदा रेड्डी [(2015) 8 एस. सी. सी. 331 में कहाः(2015) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 100], आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद पत्र अस्वीकृति एक कठोर शक्ति है जो न्यायालय को सीमा पर एक दीवानी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए प्रदान की जाती है।इसलिए, इस शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्व शर्तें कठोर हैं और यह विशेष रूप से तब होता है जब परिसीमा के आधार पर वाद को खारिज करने की मांग की जाती है।जब कोई वादी यह दावा करता है कि उसे वाद के मूल तथ्यों की जानकारी केवल एक विशेष समय पर ही प्राप्त हुई, तो आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पर विचार करते समय इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. जैसा कि इस न्यायालय की तीन–न्यायाधीशों की पीठ ने छोटांबेन बनाम किरितभाई जलकृष्णभाई ठक्कर [(2018) 6 एससीसी 422 :(2018) 3 एससीसी (सिविल) 524] में बताया है, वादी को मूल तथ्यों की जानकारी किस तिथि को प्राप्त हुई, यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि वाद परिसीमा से बाधित है या नहीं।यह एक विचारणीय विवाद्यक बन जाता है और इसलिए वाद को प्रारंभिक चरण में ही खारिज नहीं किया जा सकता है।

13...

14. लेकिन वाद में प्रतिवादी वादपत्र से कुछ वाक्य उठाकर यह तर्क नहीं दे सकता कि वादियों को कार्यवाही की अप्रत्यक्ष सूचना थी और इसलिए परिसीमा अवधि अप्रत्यक्ष सूचना की तिथि से शुरू हुई। वास्तव में, अप्रत्यक्ष सूचना का तर्क प्रतिवादियों द्वारा इस बात को पुष्ट करने के बाद उठाया गया है कि वादियों को कार्यवाही की वास्तविक जानकारी और प्रत्यक्ष सूचना थी।किसी भी स्थिति में, अप्रत्यक्ष सूचना का तर्क बाद में गढ़ा गया प्रतीत होता है।"

(□□□) शक्ति भोग फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनामसेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर, (2020) 17 एस. सी. सी. 260

"6. मुख्य प्रश्न यह है:क्या अपीलकर्ता द्वारा दायर वादपत्र को आदेश 7 नियम 11(घ) सी.पी.सी. के तहत खारिज किया जा सकता था?

7. वास्तव में, आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. न्यायालय को वादपत्र खारिज करने का पर्याप्त अधिकार देता है, यदि वादपत्र में दिए गए कथनों से यह स्पष्ट हो कि परिसीमा विधि सहित किसी भी कानून द्वारा वाद वर्जित है। यह स्थिति अब कोई नया मुद्दा नहीं है।हम इस न्यायालय के राम प्रकाश गुप्ता बनाम राजीव कुमार गुप्ता [(2007) 10 एस.सी.सी. 59] मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ ले सकते हैं।कंडिका 13 से 20 में न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:(एस. सी. सी. पीपी. 65 –66)

"13. आदेश 7 नियम 11 के अनुसार, निम्नलिखित मामलों में वाद पत्र खारिज होने योग्य है:

'(क) जहाँ यह कार्यवाही के कारण का खुलासा नहीं करता है;

(ख) जहां दावा की गई अनुतोष का कम मूल्यांकन किया गया है, तथा वादी, न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले समय के भीतर मूल्यांकन को सही करने के लिए न्यायालय द्वारा आवश्यक होने पर, ऐसा करने में विफल रहता है;

(ग) जहाँ वाद पत्र की गई अनुतोष का उचित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, परंतु शिकायत कागज पर अपर्याप्त रूप से लिखी जाती है, तथा वादी, न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले समय के भीतर आवश्यक स्टांप पेपर की आपूर्ति करने के लिए न्यायालय द्वारा आवश्यक होने पर, ऐसा करने में विफल रहता है;

(घ) जहां वाद मे वाद पत्र में दिए गए कथन से किसी भी कानून द्वारा वर्जित प्रतीत होता है;

(ई) जहां यह डुप्लिकेट में दाखिल नहीं किया गया है;

(च) जहाँ वादी नियम 9 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है; '

14. सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य [सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य, [(2003) 1 एस. सी. सी. 557] में संहिता के आदेश 7 नियम 11 के संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि:

'9.... संबंधित तथ्य जिन पर उसके तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने हेतु गौर करने की आवश्यकता है, वे वाद पत्र में कथन हैं।विचारण न्यायालय वाद के किसी भी चरण में, वादपत्र दर्ज करने से पहले या प्रतिवादी को समन जारी करने के बाद, मुकदमे की समाप्ति से पहले किसी भी समय इस शक्ति का प्रयोग कर सकती है। सीपीसी के आदेश 7 के नियम 11 के खंड (क) और (घ) के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के प्रयोजन के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लिए, वादपत्र में दिए गए कथन प्रासंगिक हैं; उस चरण में प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान में लिए गए तर्क पूरी तरह से अप्रासंगिक होंगे।...' (एस. सी. सी. पी. 560, कंडिका 9)।

15. आईटीसी लिमिटेड बनामऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण [आई. टी. सी. लिमिटेड बनाम.ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, (1998) 2 एससीसी 70] यह अभिनिर्धारित किया गया कि संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर आवेदन पर विचार करते समय तय किया जाने वाला मूल प्रश्न यह है कि क्या वादपत्र में कार्रवाई का वास्तविक कारण बताया गया है या संहिता के आदेश 7 नियम 11 से बचने के उद्देश्य से केवल काल्पनिक बातें कही गई हैं।

16. "विचारण न्यायालय को यह याद रखना चाहिए कि यदि वादपत्र को सार्थक रूप से (औपचारिक रूप से नहीं) पढ़ने पर यह स्पष्ट रूप से परेशान करने वाला और निराधार प्रतीत होता है, यानी इसमें वाद करने का स्पष्ट अधिकार प्रकट नहीं होता है, तो उसे आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसमें उल्लिखित आधार पूरा हो।यदि चतुराई से मसौदा तैयार करने से कार्यवाही के कारण का भ्रम पैदा हो गया है, तो आदेश 10 सी. पी. सी. के तहत पक्ष की खोजबीन करके पहली सुनवाई में [इसे समाप्त करना होगा]। (टी. अरिवंदम बनाम टी. वी. सत्यपाल [(1977) 4 एस. सी. सी. 467], एस. सी. सी. पी. देखें।468.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. यह सर्वविदित विधि है कि किसी विशेष तर्क पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि संपूर्ण वादपत्र को पढ़ा जाना चाहिए।जैसा कि इस न्यायालय ने रूप लाल साथी बनाम नछत्तर सिंह गिल [(1982) 3 एससीसी 487] मामले में कहा था, वादपत्र के केवल एक भाग को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और यदि कोई वाद का कारण प्रकट नहीं होता है, तो संपूर्ण वादपत्र को ही अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

18. राप्टाकोस ब्रेट एंड कंपनी लिमिटेड बनामगणेश संपत्ति [(1998) 7 एस. सी. सी. 184] यह देखा गया कि समग्र रूप वाद पत्र में किए गए कथनों को यह पता लगाने के लिए देखा जाना चाहिए कि क्या नियम 11 आदेश 7 का खंड (डी) लागू था।

19. सोपान में सुखदेव साबले बनाम चैरिटी कम्र[(2004) 3 एस. सी. सी. 137] इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया(एस. सी. सी. पीपी. 146-47, कंडिका 15)

'15.वाद पत्र के विभिन्न अनुच्छेदों की भाषा का कोई विभाजन, विवेचना, पृथक्करण या उलटफेर नहीं किया जा सकता है।यदि ऐसा किया जाता है, तो यह व्याख्या के उस मूलभूत सिद्धांत के विरुद्ध होगा जिसके अनुसार किसी भी याचिका का सही अर्थ जानने के लिए उसे समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। किसी वाक्य या अनुच्छेद को अलग करके, संदर्भ से बाहर रखकर, उसकी व्याख्या करना अनुमेय नहीं है। यद्यपि केवल रूप ही नहीं बल्कि सार भी महत्वपूर्ण है, फिर भी याचिका को बिना किसी जोड़-घटाव, शब्द परिवर्तन या व्याकरणिक अर्थ में बदलाव किए, यथावत ही समझा जाना चाहिए। संबंधित पक्ष का आशय मुख्यतः उसकी याचिका के भावार्थ और शब्दों से समग्र रूप से समझा जाना चाहिए।

साथ ही, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तकनीकी बारीकियों के आधार पर न्याय को विफल करने के लिए कोई संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए।'

20. हमारे उद्देश्य हेतु लिए खंड (घ) सुसंगत है।यह स्पष्ट करता है कि यदि वाद पत्र में सीमा से संबंधित आवश्यक अभिकथन नहीं हैं, तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है।उक्त उद्देश्य हेतु ,ऐसा आवेदन दाखिल करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह न्यायालय को संतुष्ट करे कि वादपत्र में यह स्पष्ट नहीं है कि यह समयबद्ध कैसे है।उक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए न्यायालय का यह दायित्व है कि वह संपूर्ण वादपत्र का सत्यापन करे।आदेश 7 नियम 12 के अनुसार, यदि वादपत्र अस्वीकृत किया जाता है, तो न्यायालय को इस संबंध में आदेश और उसके कारण दर्ज करने होंगे।"

8. इसी तर्ज पर, चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी न्यायालय पोन्नियममैन एजुकेशनल ट्रस्ट [(2012) 8 एस. सी. सी. 706:(2012) 4 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 612], निम्नलिखित रूप में देखा गयाः(एस. सी. सी. पी. 713–15, कंडिका 10–12) "10. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जहां शिकायत कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करती है, वाद पत्र की गई अनुतोष का कम मूल्यांकन किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा अनुमत समय के भीतर सही नहीं किया जाता है, अपर्याप्त रूप से मुहर लगाई जाती है तथा न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर ठीक नहीं किया जाता है, किसी भी विधि द्वारा वर्जित, आवश्यक प्रतियों को संलग्न करने में विफल रहा तथा वादी नियम 9 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा, न्यायालय के पास इसे अस्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से यह भी स्पष्ट होता है कि संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्ति का प्रयोग वाद पत्र दर्ज करने से पहले या प्रतिवाद पत्रियों को समन जारी करने के पश्चात् या विचारण के समापन से पहले किसी भी समय किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. इस स्थिति को इस न्यायालय द्वारा सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2003) 1 एस. सी. सी. 557] मामले में समझाया गया था, जिसमें संहिता के आदेश 7 नियम 11 पर विचार करते हुए इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः(एस. सी. सी. पी. 560, कंडिका 9)

'9.प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि इसके अंतर्गत आवेदन पर निर्णय लेने के लिए जिन प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है, वे वादपत्र में उल्लिखित कथन हैं। विचारण न्यायालय प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग वाद के किसी भी चरण में कर सकता है—वादपत्र दर्ज करने से पहले या प्रतिवादी को समन जारी करने के बाद, वाद की समाप्ति से पहले किसी भी समय।प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 के नियम 11 के खंड (क) और (घ) के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से, वादपत्र में दिए गए कथन सुसंगत हैं; प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान में लिए गए तर्क उस स्तर पर पूरी तरह से असंगत होंगे, इसलिए, प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पर निर्णय लिए बिना लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश देना विचारण न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के प्रयोग

से संबंधित प्रक्रियात्मक अनियमितता ही होगी।'यह स्पष्ट है कि आदेश 7 नियम 11 पर विचार करने के लिए, न्यायालय को वादपत्र में दिए गए कथनों को देखना होगा और इसका प्रयोग निचली अदालत द्वारा मुकदमे के किसी भी चरण में किया जा सकता है।यह भी स्पष्ट है कि लिखित बयान में किए गए अभिकथन महत्वहीन हैं और वादपत्र में किए गए अभिकथनों/बयानों की जांच करना न्यायालय का कर्तव्य है।दूसरे शब्दों में कहें तो, ऐसे आवेदन पर निर्णय लेते समय वाद में उल्लिखित कथनों पर ही ध्यान देना आवश्यक है। उस स्तर पर, प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान में दिए गए तर्क पूरी तरह अप्रासंगिक होते हैं और मामले का निर्णय केवल शिकायत में उल्लिखित कथनों के आधार पर ही किया जाना चाहिए।इन सिद्धांतों को रैप्टाकोस ब्रेट एंड कंपनी लिमिटेड बनामगणेश प्रॉपर्टी [(1998) 7 एससीसी 184] और मयार (एच.के.) लिमिटेड बनाम वेसल एम.वी. फॉर्च्यून एक्सप्रेस [(2006) 3 एससीसी 100] में दोहराया गया है।

12. टी. अरिवंदम बनाम टी.वी. सत्यपाल [(1977) 4 एससीसी 467] के फैसले का उल्लेख करना भी उपयोगी है, जिसमें इसी प्रावधान, अर्थात् आदेश 7 नियम 11 और ऐसे आवेदन पर विचार करते समय निचली अदालत के कर्तव्य पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने विचारण न्यायालय के न्यायाधीशों को निम्नलिखित टिप्पणी के साथ याद दिलाया है:(एस. सी. सी. पी. 470, कंडिका 5) '5.... विद्वान मुन्सिफ को याद रखना चाहिए कि यदि वाद पत्र के सार्थक–औपचारिक नहीं–पढ़ने पर यह स्पष्ट रूप से परेशान करने वाला तथा निरर्थक है, तो वाद करने के स्पष्ट अधिकार का खुलासा नहीं करने के अर्थ में, उसे आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ताकि यह ध्यान रखा जा सके कि उसमें उल्लिखित आधार पूरा हो गया है।तथा, यदि चतुराईपूर्ण से तैयार किए गए मसौदे ने वाद का आधार बनने का भ्रम पैदा कर दिया है, तो पहली सुनवाई में ही पक्षकार से विधिवत पूछताछ करके इसे जड़ से खत्म कर दें। गैर–जिम्मेदार विधिक वाद का समाधान एक सक्रिय न्यायाधीश ही है। विचारण न्यायालय पहली सुनवाई में ही पक्षकार की अनिवार्य रूप से जांच करने पर जोर देंगी ताकि फर्जी मुकदमों को शुरुआती चरण में ही खारिज किया जा सके।दंड संहिता (अध्याय 11) भी ऐसे लोगों से निराकरण के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है और उनके खिलाफ इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।'

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह स्पष्ट है कि यदि आरोप भ्रामक और निराधार हैं तथा मुकदमा करने का कोई स्पष्ट अधिकार या आधार प्रकट नहीं करते हैं, तो ट्रायल जज का यह कर्तव्य है कि वह आदेश 7 नियम 11 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करे।यदि चतुराईपूर्ण मसौदा तैयार करने से कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा हो गया है, जैसा कि कृष्णा अय्यर, जे. ने उपरोक्त संदर्भित निर्णय [टी. अरिवंदम बनाम टी.वी. सत्यपाल, (1977) 4 एससीसी 467] में देखा है, तो इसे संहिता के आदेश 10 के तहत पक्षों की जांच करके पहली सुनवाई में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए।"

14. इन समस्त घटनाओं को वाद पत्र के कंडिका 28 में दोहराया गया है, जो वाद दायर करने हेतु कार्रवाई के कारण से संबंधित है।दरअसल, उक्त कंडिका इस अभिव्यक्ति के साथ शुरुआत इस अभिव्यक्ति से होती है कि "वाद दायर करने का कारण वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के विरुद्ध तब उत्पन्न हुआ जब अवैध वसूली

का पता चला और 21–7–2000 को प्रतिवादियों को यह स्पष्ट करने के लिए पत्र भेजा गया कि ब्याज की गणना कैसे की जा रही है"।इस कथन को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है।....

22. यह सुस्थापित स्थिति है कि वाद दायर करने हेतु कार्रवाई के कारण में तथ्यों का बंडल शामिल होगा। इसके अलावा, वाद के सीमित होने का तथ्य, आम तौर पर, तथ्य तथा विधि का एक मिश्रित प्रश्न होगा।उस कारण से भी, आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. को लागू करने से इनकार किया जाता है।वर्तमान मामले में, वादपत्र में यह दावा किया गया है कि अपीलकर्ता को पूरा विश्वास था कि उसके दावे पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कार्रवाई की जा रही है और क्षेत्रीय कार्यालय जल्द से जल्द उचित निर्णय लेगा। बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक से 8–5–2002 को प्राप्त पत्र और उसके बाद 19–9–2002 को प्राप्त एक अन्य पत्र के बाद यह विश्वास डगमगा गया, जिसमें कहा गया था कि बैंक द्वारा की गई कार्यवाही नियमों के अनुसार है और अपीलकर्ता को इस संबंध में बैंक से आगे पत्राचार करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तरवादी बैंक की इस कठोर प्रतिक्रिया के कारण अपीलकर्ता को उत्तरवादी बैंक पर वाद करने का अधिकार प्राप्त हो गया।इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता द्वारा अंततः 28–11–2003 और फिर 7–1–2005 को कानूनी नोटिस भेजने और फिर 23–2–2005 को वाद दायर करने के तथ्य को भी कार्रवाई का कारण माना गया है।अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया यह तर्क वास्तविक और वैध है या नहीं, यह तथ्य और कानून का मिश्रित प्रश्न होगा, जो उत्तरवादी की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. इस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के सुविचारित आदेश को पलटने का दृष्टिकोण हस्तक्षेप योग्य है।विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि परिसीमा का विवाद्यक साक्ष्यों के आधार पर निर्णय की आवश्यकता रखता है, विशेष रूप से अपीलकर्ता के इस दावे को ध्यान में रखते हुए कि उसके द्वारा निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी ने उसके पिता को वाद संपत्ति को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं दिया था और विवादित लेन–देन की जानकारी उसे बहुत बाद में मिली थी।ऐसी परिस्थितियों में, परिसीमा का निर्धारण तथ्यों के आक्षेपित प्रश्नों से जुड़ा था, जिनका निर्णय वाद की विचारण के बिना संक्षिप्त रूप से नहीं किया जा सकता था।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया इस धारणा के आधार पर वाद को खारिज कर दिया कि मुकदमा परिसीमा से बाधित है, जबकि उसने इस बात की कोई जाँच नहीं की कि क्या सूचना की तिथि के संबंध में दिया गया दावा रिकॉर्ड के आलोक में स्पष्ट रूप से झूठा या स्वाभाविक रूप से असंभव था।इस न्यायालय की राय में, ऐसा दृष्टिकोण विधि की त्रुटि है और यह आदेश □□□ नियम 11 सीपीसी के तहत शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सुस्थापित सिद्धांतों का दुरुपयोग है। इन्हीं कारणों से, वाद के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे भी इस न्यायालय की राय में विधि की त्रुटि हैं और सीपीसी के आदेश □□□ नियम 11 के तहत शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सुस्थापित सिद्धांतों का दुरुपयोग हैं।

14. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलार्थी वाद पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने 27 में पंजीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी को निष्पादित किया है। अपीलकर्ता ने वाद में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने अपने पिता

के पक्ष में पंजीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी केवल घर बनाने और संबंधित गतिविधियों को करने के सीमित उद्देश्य के लिए निष्पादित की थी।याचिका में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो अपीलकर्ता के पिता को उसकी सहमति और जानकारी के बिना वाद संपत्ति किसी को भी बेचने का अधिकार देता है। फिर भी, अपीलकर्ता के पिता ने पावर ऑफ अटॉर्नी के दायरे से बाहर जाकर अपनी पोती के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया, जिससे अधिकार के दुरुपयोग और संभावित धोखाधड़ी के गंभीर संदेह उत्पन्न होते हैं।इस प्रकार के दावों को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश □□□ नियम 11 के तहत दायर आवेदन में खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिए, हमारा मानना है कि वाद में कार्रवाई का एक ऐसा कारण प्रकट होता है जिसे प्रारंभिक चरण में ही खारिज नहीं किया जा सकता है।इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने वाद को खारिज न करने और मामले को सुनवाई के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लेते हुए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्य किया।उच्च न्यायालय को, धारा 115 सीपीसी के तहत पुनरीक्षण अधिकार का प्रयोग करते हुए,विचारण न्यायालय के आदेश में किसी भी अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटि या विकृति के अभाव में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।जहां परिसीमा और पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत अधिकार क्षेत्र के दायरे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यात्मक विवाद मौजूद हैं, वहां वाद को खारिज करना विधिक रूप से अस्वीकार्य है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. प्रतिद्वंद्वी तर्क पर विचार करने और वाद के साथ–साथ दिनांक 25.01.2025 के आक्षेपित आदेश का अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत ने विधि के स्थापित सिद्धांतों को सही ढंग से लागू किया है।विधि यह सर्वविदित है कि सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11(डी) के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में, न्यायालय को केवल वाद में किए गए कथनों पर ही विचार करना होता है और इससे आगे कुछ नहीं।यदि वादपत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर यह पाया जाता है कि वाद विधिवत रूप से विधि द्वारा वर्जित है, तो ही वादपत्र को खारिज करना उचित होगा।हालांकि, जहां आक्षेपित तथ्यों, जैसे कि वाद के कारण की उत्पत्ति या संपत्ति पर कब्जे का निर्धारण, का मुद्दा प्रारंभिक स्तर पर नहीं उठाया जा सकता है।

17. वर्तमान मामले में, वादी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वाद का कारण 11.08.2024 को उत्पन्न हुआ, जब प्रतिवादियों ने कथित तौर पर वाद भूमि पर उसके कब्जे में हस्तक्षेप किया। इसके अतिरिक्त, वादी ने विशिष्ट निष्पादन और निषेधाज्ञा के अलावा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वामित्व की घोषणा की भी मांग की है।अतः, परिसीमा संबंधी तर्क को साक्ष्य के बिना निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पी. कुमारकुरुबरन (उपरोक्त) मामले में, आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के दायरे पर विचार करते हुए यह माना है कि किसी वाद को परिसीमा द्वारा वर्जित होने के कारण तब तक खारिज नहीं किया जा सकता जब तक कि उसमें निहित कथनों से ऐसी रोक स्पष्ट न हो। जहां परिसीमा का विवाद्यक तथ्यों के आक्षेपित प्रश्नों के निर्णय पर निर्भर करता है, वहां उसे अनिवार्य रूप से विचारण के लिए खुला छोड़ देना चाहिए।19. उपरोक्त विधिक स्थिति के आलोक में, इस न्यायालय का मत है कि विचारण न्यायालय ने आवेदकों/प्रतिवादियों द्वारा आदेश 7 नियम 11(घ) सीपीसी के तहत दायर

आवेदन को खारिज करने में उचित निर्णय लिया था। चुनौती दिए गए आदेश में कोई क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि, अवैधता या ऐसी कोई महत्वपूर्ण अनियमितता नहीं है जिसके लिए धारा 115 सीपीसी के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

20. तदनुसार, यह दीवानी पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है।हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी मामले की योग्यता पर राय नहीं मानी जाएगी, तथा विचारण न्यायालय विधि के अनुसार स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेगी।इस पर कोई वाद व्यय देय नही होगा।

सही/–

(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक*

प्रयोजनों हेतु ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur